न्यायालय वी0के0भाटरवानी, अपर सेशन न्यायाधीश (फा0ट्रे0) सं-2,
अजमेर

सेशन प्रकरण संख्या 8/07 (27/07, 24/07)

सरकार --अभियोगी

बनाम

डा0 रजनी सिंहल पत्नी प्रमोद सिंहल जाति सिंहल निवासी रुक्मणी देवी मेमोरियल नर्सिंग होम, ग्राम जी चौक, नसीराबाद जिला अजमेर

-- अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा पी एण्ड डी टी एक्ट 94 की धारा 23 व एम टी पी एक्ट 71 की धारा 5 तथा भा0द0सं0 की धारा 315 सपठित धारा 511

उपस्थित:-

1. श्री रामस्वरूप लोक अभियोजक- सरकार की ओर से ।
2. अधिवक्ता श्री के सी बीजावत -अभियुक्ता की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 22.2.08

न्यायालय द्वारा:-

उपरोक्त अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 14/11/06 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खं0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्र0व0 नसीराबाद के समक्ष धारा 312,315,316/511 भा0द0सं0 सपठित धारा 23(1)(3) तथा 26 प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण सेशन अन्वीक्षा योग्य होने के कारण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के यहां उपार्पित किया गया तत्पश्चात यह प्रकरण दिनांक 27/2/07 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फा0ट्रे0) संख्या-1 अजमेर को अंतरित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सामा0/2007/845 दि0 25/6/07 व श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के आदेश क्रमांक स्था0/07/546 दिनांक 29/6/07 द्वारा यह प्रकरण विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

22.2.08
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) क्र. सं. 2 अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि

तथ्य प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 14/11/06 को परिवादी डा० वी०के०माथुर द्वारा एक परिवाद पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्र०व० नसीराबाद न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसपर न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्र०व० नसीराबाद द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध भा०द०स० की धारा312,315,316/511 एवं धारा 23(1) (3) व धारा 26 पी एण्ड डी टी एक्ट 1971 के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर पत्रावली को माननीय सेशन न्यायाधीश,अजमेर के यहाँ पत्रावली को कमिट कियागया। परिवादी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि परिवादी राजस्थान सरकार द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने को अधिकृत है अभियुक्ता पेशे से पंजीकृत चिकित्सक है जो रूकमणी देवी मेमोरियल नर्सिंग होम नसीराबाद जिला अजमेर का संचालन करती है एवं मालिक है। दिनांक 5/4/06 से 23/4/06 तक टी वी चैनल राष्ट्रीय सहारा समय मे कोख मे कत्ल नामक शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसमें सरकारी एवं निजी चिकित्सको एवं चिकित्सा संस्थानो के द्वारा गैर कानूनी रूपसे गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग का परिक्षण करके गर्भ का समापन कियाजाता है। अभियुक्ता को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अभियुक्त द्वारा गर्भपात कराने एवं जीवित बच्चे को अपरिपक्व अवस्था मे निकालने जिससे उनकी मृत्यु हो जाये इस उद्देश्य से कृत्य कियागया हैं। दिनांक14/6/06 को अभियुक्ता के हास्पिटल पर जाँच हेतु डा० लक्ष्मण, हरचन्दानी, अति०मु०चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, डा० रत्तन मंत्री वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन, डा० मधु शर्मा क०विशेषज्ञ, डा० जगदीशमहेश्वरी अभियुक्त के अस्पताल पहुंच कर पायाकि उक्त चिकित्सालय में से सोनोग्राफी मशीन जब्त की गयी/विजह सबूत कब्जे मे लिये गयें। दिनांक 14/6/06 को विधिवत परिवादी द्वारा अभियुक्ता को गैर कानूनी रूप से अविधिक तौर पर गर्भ गर्भावस्था मे लडकी होने पर गर्भपात की सेवाएं उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया तथा गर्भपात नही करने के निर्देश दिये गये संबंधित रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये । अभियुक्ता द्वारा कानून का उल्लंघन करके अवैध तौर आपराधिक दण्डनीय अपराध किया है परिवाद सुनने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार परिवाद अंदरमियाद है। अंत मे निवेदन कियाकि अभियुक्ता के विरुद्ध प्रसंज्ञान लियाजाकर उन्हें दण्डित करने की कृपा करें।

22.2.08
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) क्र सं. 2 अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि
लिपिक

दिनांक 18/9/07 को अभियुक्ता को पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23 व एम टी पी एक्ट 1971 की धारा 5 तथा भा0द0स0 की धारा 315 सपठित धारा 511 का अलग से आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्ता ने अ अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्लू-1 जगदीश महेश्वरी पी डब्लू-2 लक्ष्मण हरचन्दानी को परीक्षित कराया तथा अपनी साक्ष्य समाप्त की । तत्पश्चात अभियुक्ता के कथन 313 द0प्र0स0 लेखाबद्ध किये गये । अभियुक्ता ने स्वयंको निर्दोष बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा ।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन कियागया। हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :-
आया दिनांक 5/4/06 को या इससे पूर्व किसी दिन आपने महिला को गर्भपात करने के लिए व लिंग परीक्षण के लिये सहमति दी जिसका आपको कोई अधिकार प्राप्त नही था तथा अपने महिला को गर्भपात करने के लिए सहमति इस आशय की दी कि शीशु को जीवित पैदा होने से रोका जाय यदि हाँ तो इसके लिये उचित दण्ड क्या होगा ?

इस बाबत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के संक्षिप्त विवेचन इसप्रकार है कि पी डब्लू-1 डा0 जगदीशमहेश्वरी का सशपथ कथन रहा है कि दिनांक 14/6/06 को उसे डा0 वी0के0माथुर द्वारा फोन करके रुकमणी देवी मेमोरियल अस्पताल मे बुलाया गया वहाँ पर डा0 लक्ष्मण हरचंदानी, डा0 मोती आसनानी डा0 वी0के0 माथुर मौजुद थे। डा0 एस एन संत्री व डा0 मधु शर्मा को भी बुलाया गया था सब ने चिकित्सालय के सोनोग्राफी कमरे का, लेबर रूम का निरीक्षण किया । डा0 रजनी सिहंल व प्रमोद सिहंल को निर्देश दिया कि आगामी आदेश तक सोनोग्राफी नहीं करें। वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन थी तथा लेबर रूम मे सबंधित औजार थे, प्रतिपरीक्षण के दौरान इस गवाह ने बताया है कि उसके सामने रजनी सिहंल ने किसी भी मरीज का ईलाज नही किया न सोनोग्राफी की , न ही किसीसेउसके सामने मरीज से कोई वार्ता हुयी उस समय कोई मरीज नही था।

पी डब्लू-2 डा0 लक्ष्मण हरचंदानी ने पी डब्लू-1 के सशपथ कथनों कीपुष्टि की तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया है कि उसके सामने डा0 रजनी सिहंल ने किसी भी महिला की गर्भ से

22.2.08
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
(फास्ट ट्रेक) क्र सं. 2 अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि
लिपिक
विभाग
न्यायालय, अजमेर

सबंधित कोई जांच की ।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को संदेह से परे साबित करने के लिए प्रस्तुत की गयी है। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता दोषी करार दिये जाने योग्य है। जबकि अभियुक्ता के सुयोग्य विद्वान अभिभाषक श्री के सी बीजावत का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को साबित करने के सबंध मे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है। अभियुक्ता द्वारा किस महिला के साथ सहमति दी गयी उसका नाम तक नही बताया गया हैं। ऐसी स्थिति मे अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य हैं।

हमने दोनों पक्षो की ओर से प्रस्तुत तर्को-वितर्को पर मनन किया । अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्लू-1 डा0 जगदीश महेश्वरी व पीडब्लू-2 डा0 लक्ष्मण हरचंदानी को परिक्षित करवाया है इन दोनो गवाहन ने साक्ष्य मे कहीं भी यह नही बताया है कि डा0 रजनी सिहंल के द्वारा किस महिला को गर्भपात करने की सहमति दी यहां तक कि उस महिला का नाम तक भी नही बताया है। जिसके साथ वार्ता करना कथित कियागया है। परिवादी द्वारा सहारा चैनल न्यूज के आधार पर यह परिवाद प्रस्तुत किया है परंतु आरोप को साबित करने के सबंध में कोई भी सुदृढ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है यहां तक पी डब्लू-1 व पी डब्लू-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके सामने डा0 रजनी सिहंल द्वारा किसी भी मरीज का ईलाज नही किया न सोनोग्राफी की , न ही वार्ता हुयी । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहारा स्टिंग आप्रेशन मे प्रसारित न्यूज"कोख का कत्ल" की सी डी प्रस्तुत की गयी है जो मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही हुए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहीं भी स्पष्ट नही किया है कि अभियुक्त द्वारा किस महिला के साथ वार्ता की गयी तथा उसे सोनोग्राफी के लिए सहमति दी । इस प्रकार की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता को पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23 ,एम टी पी 1971 की धारा 5 व भा0द0स0 की धारा 315 सपठित धारा 511 के आरोप मे जोडने मे किसी प्रकार की कोई मदद नही मिलती हैं।

इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र. सं. 2 अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि

से प्रकट होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रकरण को संदेह से परे साबित करने के संबंध मे कोई भी सुदृढ विश्वसनीय एवं वैधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। यहां तक किकिस महिला के साथ बलात्कार की गयी उसका नाम भी स्पष्ट नहीं किया गया । ऐसी स्थिति मे अभियुक्ता दोषमुक्त होने योग्य है अतः इस बिन्दु का निर्णय अभियुक्ता के पक्ष मे एवं अभियोजन के विपरीत कियाजाता हैं।

आदेश

परिणामस्वरूप अभियुक्ता डा0 रजनी सिंह्ल पत्नी प्रमोद सिंह्ल जाति सिंह्ल निवासी रूकमणी देवी मेमोरियल नर्सिंग होम , ग्राम जी चौक नसीराबाद जिला अजमेर को आरोपित अपराध पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23, एम टी पी एक्ट 1971 की धारा 5 व भा0द0स0 की धारा 315 सपठित धारा 511 से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता हैं।

प्रकरण मे जब्त कीगयी सोनोग्राफी रिकार्ड शैक्षणिक योग्यता एवं एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र व सोनोग्राफी मशीन अभियुक्ता को बाद गुजरने मियाद अपील लौटायी जावे।

22.2.08

(वी0के0भारवानी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
(फास्ट ट्रेक) क्र. सं. 2 अजमेर
(फा0ट्रे0) संख्या-2 अजमेर।

निर्णय आज दिनांक 22.2.08 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय मे सुनाया जाकर सुनायागया।

22.2.08

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक)
संख्या-2, अजमेर ।

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
सेशन न्यायालय, अजमेर
28/2/08

सत्यापित प्रतिलिपि

लिपिक

न्यायालय:वी0के0माथुरवानी,अपर सेशन न्यायाधीश (फा0ट्रै0) सं0-2
अजमेर

सेशन प्रकरणसंख्या 9/07(25/07,26/07)

सरकार --अभियोगी

बनाम

डा0देवी पंवार निवासी प्रेमलता नर्सिंग होम, पृथ्वी जी चौक नसीराबाद जिला अजमेर।

--अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा पी एण्ड डी टी एक्ट 94 कीधारा 23 व एम टी पी एक्ट 71 की धारा 5 तथा भा0द0सं0 की धारा 315 सपठित धारा 511 ।

उपस्थित:-

(1) श्री रामस्वरूप लोक अभियोजक-सरकार की ओर से।
(2) अधिवक्ता श्री के सी बीजावत- अभियुक्ता की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 22.2.08

न्यायालय द्वारा:-

उपरोक्त अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 14/11/06 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्र0व0 नसीराबाद के समक्ष धारा 312,315,316/511 भा0द0सं0 सपठित धारा 23(1)(3) तथा 26 प्रस्तुत किया गया जहां से मामला सेशन अन्वीक्षा योग्य होने के कारण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के यहां उपार्पित किया गया तत्पश्चात यह प्रकरण दिनांक 27/2/07 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फा0ट्रै0) सं0-1 अजमेर को अंतरित कियागया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सामान्य/2007/845 दि025/6/07 व श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के आदेश क्रमांक स्था0/07/546 दिनांक 29/6/07 द्वारा यह प्रकरण विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

22.2.08
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र. सं. 2 अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
विभाग
केन्द्रीय
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

तथ्य प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 14/11/06 को परिवाद डा0 वी के माथुर द्वारा एक परिवाद पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्र0व0 नसीराबाद न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्र0व0 नसीराबाद द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 312,315,316/511 एवं धारा 23(1)(3) व धारा 26 पी एण्ड डी टी एक्ट 1971 तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर पत्रावली को माननीय सेशन न्यायाधीश अजमेर के यहां पत्रावली को कमिट किया गया। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र मे अंकित किया हैं कि परिवादी राजस्थान सरकार द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने को अधिकृत है अभियुक्ता पेशे से पंजीकृत चिकित्सक है जो प्रेमलतानर्सिंग होम प्रामजी चौक नसीराबाद जिला अजमेर का संचालन करती है एवं मालिक हैं। दिनांक 5/4/06 से 23/4/06 तक टी वी चैनल राष्ट्रीय सहारा समय मे कोख मे कत्ल नामक शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसमें सरकारी एवं निजी चिकित्सको एवं चिकित्सा संस्थानो के द्वारा गैर कानूनी रूप से गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग का परीक्षण करके गर्भ का समापन किया जाता हैं अभियुक्ता को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अभियुक्ता द्वारा गर्भपात कराने एवं जीवित बच्चे को अपरिपक्व अवस्था मे निकालने जिससे उनकी मृत्यु हो जाये इस उद्देश्य से कृत्य किया गया है दिनांक 14/6/06 को अभियुक्ता के हास्पिटल पर जांच हेतु डा0 लक्ष्मण हरचन्दानी,अति0मु0चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ,डा0 एस एन मंत्री वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन,डा0 मधु शर्मा क0विशेषज्ञ, डा0 जगदीश महेश्वरी अभियुक्ता के अस्पताल पहुच कर पाया कि उक्त चिकित्सालय मे ना तो सोनोग्राफी मशीन है ना ही एम टी पी के लिए पंजीकृत है सभी सदस्यो की सर्वसम्मति से निर्णय लिया किमौके पर अवैध गर्भपात एवं जांच मे प्रयोग लिये जाने वाले औजार सीज किये गये। दिनाक 14/6/06 को विधिवत परिवादी द्वारा अभियुक्ता डा0 देवी पंवार को गैर कानूनी रूप से अविधिक तौर पर गर्भ गर्भावस्था में लडकी होने पर गर्भपात की सेवाए उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया तथा गर्भपात नही करने के निर्देश दिये गये थी संबंधित रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे जो नोटिस दिनांक 14/6/06 को प्राप्त हो गया। अभियुक्ता द्वारा कानून का उल्लंघन करके अवैध

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र. सं. 2 अजमेर
स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
लिपिक
प्रतिलिपि विभाग
न्यायालय, अजमेर

तौर पर आपराधिक दण्डनीय अपराध किया है परिवाद सुनने का न्यायालयको क्षेत्राधिकार है। परिवाद अंदरमियाद हैं। अंत मे निवेदन किया कि अभियुक्ता के विरूद्ध प्रसंज्ञान लियाजाकर उन्हें दण्डित करने कीकृपा करे।

दिनांक 18/9/07 को अभियुक्ता को पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23 व एम टी पी एक्ट 1971 की धारा 5 तथा भा0द0स0 की धारा 315 सपठित धारा 511 का आरोप अलग से विरचित कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्ता ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्लू-1 जगदीश महेश्वरी एवं पी डब्लू-2 लक्ष्मण हरचन्दानी को परिक्षित कराया तथा अपनी साक्ष्य समाप्त की । तत्पश्चात अभियुक्ता के कथन धारा 313 द0प्र0स0 लेखबद्ध किये गये । अभियुक्ता ने स्वंय को निर्दोष बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा ।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :

क्या दिनांक 5/4/06 को या इससे पूर्व किसी दिन आपने महिला को गर्भपात करने के लिए व लिंग परीक्षण के लिये सहमति दी जिसका आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था तथा आपने महिला को गर्भपात करने के लिए सहमति इस आशय की दी कि शीशु को जीवित पैदा होने से रोका जाय यदि हां तो इसके लिये उचित दण्ड क्याहोगा ?

इस बाबत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है कि पी डब्लू-1 डा0 जगदीशमहेश्वरी का सशपथ कथन रहा है कि दिनांक 14/6/06 को उसे डा0 वी 0 के0माथुर द्वारा फोन करके प्रेमलता नर्सिंग होम नसीराबाद अस्पताल मे बुलाया गयावहां पर डा0 लक्ष्मण हरचंदानी, डा0 मोती,आसनानी,डा0 वी0के0माथुर मौजुद थे । डा0 एस एन मंत्री व डा0 मधु शर्मा को भी बलायागया था तब ने चिकित्सालय के सोनोग्राफी कमरे का , लेबर रूम का निरीक्षण किया । डा0 देवी पंवार को निर्देश दियाकि आगामी आदेश तक सोनोग्राफी नही करें। अस्पताल एम टी पी के लिये पंजीकृत नही है। उनके पास जो भी सामान एम टी पी मे काम आने वाला था सील कर दिया गया। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने बताया है कि उसके सामने डा0 देवी पंवार ने किसी भी मरीज कार्इला , नहीं किया न सोनोग्राफी की , न हीकिसी से उसे उनने मरीज से कोई बात हुयी उस समय कोई मरीज नहीं था।

9

22.2.08
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
(फास्ट ट्रेक) क्र सं. 2 अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
... विभाग
... न्यायालय, अजमेर

पी डब्लू-2 डा० लक्ष्मण हरचंदानी ने पी डब्लू-1 के समापथ कथनों की पुष्टि की तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया है कि उसके सामने डा० देवी पंवार ने किसी भी महिला की गर्भ से संबंधित कोई जांच की ।

इसप्रकार उपरोक्त साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को संदेह से परे साबित करने के लिए प्रस्तुत की गयी हैं। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता दोषी करार दिये जाने योग्य है। जबकि अभियुक्ता के सुयोग्य विद्वानअभिभाषक श्री के सी बीजावत का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को साबित करने के संबंध मे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही की हैं। सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है। अभियुक्ता द्वारा किस महिला के साथ सहमति दी गयी उसका नाम तक नहीं बतायागया हैं। ऐसी स्थिति मे अभियुक्ता दोषमुक्त होने योग्य हैं।

हमनें दोनों पक्षो की ओर से प्रस्तुत तर्कों-वितर्कों पर मनन किया । अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्लू-1 डा० जगदीश महेश्वरी व पी डब्लू-2 डा०लक्ष्मण हरचंदानी को परिक्षित करवाया है इन दोनो गवाहों ने साक्ष्य मे कहीं भी यह नहीं बताया है कि डा० देवी पंवार के द्वारा किस महिला को गर्भपात करने की सहमति दी यहां तक कि उस महिला का नाम तक भी नहीं बताया हैं। जिसके साथ वार्ता करना कथित कियागया हैं। परिवादी द्वारा सहारा चैनल न्यूज के आधार पर यह परिवाद प्रस्तुत कियागया है परंतु आरोप को साबित करने के संबंध में कोई भी सुदृढ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है यहां तक पी डब्लू-1 व पी डब्लू-2 ने अपने प्रतिपरीक्षणके दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके सामने डा० देवीपंवार द्वारा किसी भी मरीज काईलाज नहीं किया न सोनोग्राफी की , न ही वार्ता हुयी। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहारा स्टिंगआप्रेशन मे प्रसारित न्यूज" कोख का कत्ल " की सी डी प्रस्तुत की गयी है जो मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए है। अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहीं भीस्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्ता द्वारा किस महिला के साथ वार्ता की गयी तथा उसे सोनोग्राफी के लिये सहमति दी। इस प्रकार की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता को पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23, एम टी पी 1971 की धारा 5 व भा० द०स०की धारा 315 सपठित धारा 511 के आरोप मे जोडने मे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है।

22.2.08
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र सं. 2 अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि

इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रकट होगा किअभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रकरण को संदेह से परे साबित करने के संबंध मे कोई भी सुदृढ़, विश्वसनीय एवं वैधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। यहां तक कि जिस महिला के साथ वार्ता की गयी उसका नाम भी स्पष्ट नहीं किया गया । ऐसीस्थिति मे अभियुक्ता दोषमुक्त होने योग्य है अतः इस बिन्दु का निर्णय अभियुक्ता के पक्ष मे एवं अभियोजन के विपरीत कियाजाता हैं।

आदेश

परिणामस्वरूप अभियुक्ता डा0 देवी पंवार निवासी प्रेमलता नर्सिंग होम फ्राम जी चौक नसीराबाद जिला अजमेर को आरोपित अपराध पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23 ,एम टी पी एक्ट 1971 की धारा 5 व भा0द0सं0 की धारा 315 सपठित धारा 511 से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त कियाजाताहै।

प्रकरण मे जब्त एक रजिस्टर व औजार कब्जे मे लिये गये जो सीज है बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार अभियुक्ता को लौटाये जाय ।

22.2.08

(वी0के0भारवानी)
अपर सेशन न्यायाधीश(फा0ट्रे0)
संख्या-2 अजमेर।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र. सं. 2 अजमेर

निर्णय आज दिनांक 22.2.08 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

22.2.08

(वी0के0 भारवानी)
अपर सेशन न्यायाधीश (फा0ट्रे0)
संख्या-2, अजमेर।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र. सं. 2 अजमेर

सत्यापित प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
... विभाग
केन्द्रीय ... न्यायालय, अजमेर

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला सेशन न्यायालय, अजमेर

7872108

रजिस्टर्ड/आवश्यक

राजस्थान-सरकार

कार्यालय,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर(राजस्थान)।

क्रमांक: विधि/पीसीपीएनडीटी/08/ दिनांक:

श्रीमान् निदेशक महोदय(प०क०),
एवं अध्यक्ष,राज्य समुचित प्राधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर।

विषय:-कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कोर्ट केसेज में हुए निर्णयएवं राजकीय अधिवक्ता की राय की प्रतियां भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सेशन प्रकरण सं08/07 सरकार बनाम डा० रजनी सिंघल व सेशन प्रकरण सं09/07सरकार बनाम डा०देवी पंवार में दिनांक22.02.08 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश(फास्टट्रेक)सं02,अजमेर ,श्री वी०के०मारवानी द्वारा पी एण्ड डी टी एक्ट 1994 की धारा 23 व एम०टी०पी०एक्ट 1971 की धारा 5 तथा धारा 315/511 भा.द.संहिता के अन्तर्गत पारित निर्णय एवं उपरोक्त मुकदमों में राजकीय अधिवक्ता की चाही गई राय की छाया प्रतियाँ आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं।उक्त प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश प्रदान कराने का श्रम करावें। कृपया शीघ्र कराने हेतु प्रकरण की अपील की जा सकती है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अ ज मे र।

क्रमांक: विधि/पीसीपीएनडीटी/08/ 14370-72 दिनांक: 26.05.08

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. श्री सुंगी रामजी,उप अधीक्षक पुलिस,सी०आई०डी०(सी०बी०),राज.जयपुर को मय छाया प्रतियों के। सीजशुदा मशीन के Release हेतु दिशा निर्देश प्रदान करावें।
02. सहायक विधि परामर्शी,पीसीपीएनडीटी सेल,निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान,जयपुर को मय उपरोक्तानुसार छाया प्रतियों के।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अ ज मे र।

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. सेवायें, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय टिपण्णी/क्रमिक टिपण्णी

विषय :— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर से प्राप्त सरकार बनाम डॉ0 देवी पवॉर एवं सरकार बनाम रजनी सिंघल में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति के संबंध मे।

1

उपरोक्त विषयान्तर्गत विवरण निम्न प्रकार है :—

- प्रकरण सैशन प्रकरण 9/07 सरकार बनाम डॉ0 देवी पवॉर एवं 8/07 सरकार बनाम डॉ0 रजनी सिंघल में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पताका ए से संबंधित है।
- जिसमें डॉ0 वी0के0माथुर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 14.11.06 को आरोपी चिकित्सको के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नसीराबाद के यहॉ परिवाद पेश किये।
- न्यायालय न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नसीराबाद द्वारा धारा 312,315,316/511 भा.द.स., धारा 23 (1)(3) एवं धारा 26 पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया।
- सैशन अन्वीक्षा होने के कारण इसका विचारण अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक संख्या 2) द्वारा किया गया।
- दिनांक 18.09.2007 को दोनो अभियुक्ताओं के विरूद्ध धारा 23 पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994, धारा 5 एमटीपी एक्ट, 1971 एवं धारा 315/511 के तहत आरोप माननीय न्यायालय द्वारा तय किये गये।
- अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय द्वारा जगदीश माहेश्वरी एवं लक्ष्मण हरचन्दानी को परीक्षित किया गया।
- दिनांक 22.02.08 को माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (फास्ट ट्रैक) संख्या 2, अजमेर द्वारा डॉ0 रजनीश सिंघल एवं डॉ0 देवी पवॉर को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है।

2 माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (फास्ट ट्रैक) संख्या 2, अजमेर के उक्त निर्णय की अपील किये जाने के संबंध में विचारणीय बिन्दु जिन पर विधि विभाग की राय लिया जाना प्रस्तावित है।

- माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना गया कि प्रकरण सहारा समय न्यूज चैनल पर दिखाये गये कोख में कत्ल से संबंधित है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा उस महिला जिसके साथ आरोपी चिकित्सको द्वारा बातचीत की गई का विवरण नाम सहित उपलब्ध नहीं करवाने का हवाला दिया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारो एवं अन्य गवाहो की सूची भी माननीय न्यायालय को उपलब्ध कराई गई थी जिनको कि विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षित नहीं किया गया जो कि उक्त प्रकरण के अहम गवाह थे।

PCPNDT cell/08/37
21/06/08

पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

21/06/08
LA-PCPNDT

अति0 निदेशक (प0क0) 21/6/08

निदेशक (प0क0) 25/6/08

3 2008

→

अपर सैशन न्यायधीश (फास्ट ट्रैक) अजमेर के निर्णय दिनांक 22.02.08 के द्वारा अभ्युिक्ता डॉ. रजनी सिंहल को पी.सी. पी. एण्ड डी.टी.एक्ट 1994 धारा 23 एवं एम.टी.पी. एक्ट की धारा 5 एवं आई.पी.सी. के प्रावधानो के तहत् साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया ।

न्यायालय ने विभाग के साक्ष्य लक्ष्मण हरचंदानी एवं जगदीश माहेश्वरी के बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य को अपर्याप्त माना जबकि यह साक्ष्य तो स्टिंग आपरेशन के पश्चात् उनके द्वारा अभियुक्त के क्लिनिक की जॉच से संबंधित थे । मूल अपराध को सहारा सी.डी. में अंकित तथ्यों के आधार पर बनता है । निर्णय में सी.डी. प्रस्तुत करने का उल्लेख आया है किन्तु इसकी मूल सी.डी. प्रस्तुत नहीं की है । अतः न्यायालय को मूल सी.डी. एवं उसमें अंकित गवाहों जिसकी सूची अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी थी को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस देकर बुलाया जाना चाहिए । सैशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आवश्यक संबंधित गवाह सूची एवं मूल सी.डी. हेतु गवाहों को नहीं बुलाकर त्रुटी की है । अतः इस निर्णय के विरूद्ध अपील की जानी चाहिये ।

उप विधि परामर्शी

निदेशक (प.क.)

1 JUL 2008

Ad (RCH)

Ritesh Oiwani

उपविधि परामर्शी, निदेशालय की राय पैरा 3/N के पश्चात पैरा 1/N व 2/N का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में अपील किए जाने की आगामी कार्यवाही के रूप में पत्रावली विधि विभाग भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है

03/07/08

Add. Dir (RCH)

Dir (RCH)

2008

PAS

प्र०शासन विधि विभाग

Dated 3/6/08

विधि/430 30/6/08

344/PHS/2008 4.7.2008

1409/DL/08 8/7/08

राजस्थान सरकार
विधि(प्र.4) विभाग

(3)

विषय:- सेशन प्रकरण सं. 09/2007 (25/2007, 26/2007) सरकार बनाम डा.देवी पंवार, न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश(फास्टट्रेक) सं.2, अजमेर धारा पी.एण्ड डी.टी.एक्ट, 94बी धारा 23 व एम.टी.पी.एक्ट.71 की धारा-5 भा.द.सं.की धारा 315 सपठित धारा 511.

सन्दर्भ:- आपकी पत्रावली क्रमांक 3344/पीएचएस/2008 दिनांक 4-8/7/2008

DLR

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के सम्बन्ध में लेख है कि प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर से इस विभाग को अपील के प्रस्ताव के साथ प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिला कलक्टर को प्रकरण में आगे अपील नहीं करने का विनिश्चय लेने का अधिकार है ।

यदि विभाग में प्रकरण में अपील चाहता है तो इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अजमेर से पत्राचार कर अनुरोध करें ।

निदेशक, राजकीय वादकरण

प्रमुख शासन सचिव,
चिकि.एवं स्वास्थ्य विभाग

- - - - - - - - - - - - - - - - -

अ.शा.टीप सं.प.3(216)विधि-4/2008
जयपुर, दिनांक 18/8/08

प्रतिलिपि जिला कलेक्टर, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

निदेशक, राजकीय वादकरण

/गम्भीर/

अति आवश्यक

बेटी बचाओ
Save the girl Child

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सैल
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी सैल /2008/ 114 दिनांक : 3/9/-8

जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
जिला कलेक्टर, अजमेर

विषय :– सैशन प्रकरण संख्या 9/07 सरकार बनाम डॉ0 देवी पवॉर एवं 8/07 सरकार बनाम डॉ0 रजनी सिंघल में न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक–2) के दिनांक 22.02.08 के निर्णय की अपील के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त सैशन प्रकरण में अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक–2) द्वारा दिनांक 22.02.08 को दिये गये निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निदेशालय को भिजवाई गई थी। उक्त दोनो सैशन प्रकरण सहारा समय न्यूज चैनल द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के उल्लंघन के संबंध में किये गये स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है। इन मामलो में माननीय न्यायालय द्वारा स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित गवाहो का परीक्षण नहीं किया गया है जो कि प्रकरण में अहम गवाह थे।

उक्त निर्णय के संदर्भ में अपील हेतु पत्रावली विधि विभाग को भिजवाई गई थी, जिस पर निदेशक, राजकीय वादकरण से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ कि उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर, अजमेर से विभाग को अपील हेतु कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विभाग इन प्रकरणो में अपील चाहता है तो जिला कलेक्टर अजमेर से पत्राचार कर अनुरोध करें (पत्र की प्रति संलग्न है)

अतः निवेदन है कि सैशन प्रकरण संख्या 9/07 सरकार बनाम डॉ0 देवी पवॉर एवं 8/07 सरकार बनाम डॉ0 रजनी सिंघल में न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक–2) के दिनांक 22.02.08 के निर्णय की अपील के संबंध में आप द्वारा लिये गये निर्णय से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक:कअ/विधि/अपील/2008/575 दिनांक 22.09.2008

निमित :- अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर ।

Legal
RC PNDT Cell
3/x

विषय :- सै.प्र.सं. 9/07 सरकार बनाम डॉ. देवी पंवार एवं 8/07 सरकार बनाम डॉ.रजनी सिंघल में न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक-2) अजमेर के निर्णय दिनांक 22.208 के विरुद्धअपील के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक:राज्य पी.सीपीएनडीटी सैल/ 2008/114 दिनांक 3.9.2008

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरणों में अभियोजन की ओर से साक्षी नहीं होने से आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है । माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक-2) अजमेर के निर्णय दिनांक 22.2.2008 के विरुद्ध लोक अभियोजक, अजमेर की राय के अनुसारएवं इस कार्यालय द्वारा अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है । फिर भी प्राप्त लोक अभियोजक अजमेर की राय एवं माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.2.2008 की प्रति आपको विभाग स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रासंगिक पत्र के क्रम में प्रेषित है ।

भवदीय

संलग्न:-1. निर्णय की प्रति
2. लोक अभियोजक, अजमेर की राय की प्रति ।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

रामस्वरूप
एडवोकेट
लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक
राजस्थान उच्च न्यायालय

कार्यालयः
रेल्वे पावर हाउस के सामने
नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर
☎0145-2620617,(मो.) 9829436617

क्रमांक 297

दिनांक 12.03.08

TO,

श्रीमान् जिला कलेक्टर, (न्याय शाखा)
अ ज मे र ।

विषय :- सैशन प्रकरण सं. 9/07 सरकार बनाम डा. देवी पंवार, सैशन प्र. सं. 8/07 सरकार बनाम डा. रजनी सिंघल, उपरोक्त मुकदमों मे दिनांक: 22.02.08 को अपर जिला एव सैशन न्यायाधीश (फास्ट्रेक) सं. 2, अजमेर, श्री वी. के. भारवानी द्वारा पी एण्ड डी. टी. एक्ट 1994 की धारा 23 व एम. टी. पी. एक्ट 1971 की धारा 5 तथा धारा 315/511 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पारित निर्णय मे न्यायालय द्वारा डा. रजनी सिंघल एवं डा० देवी पंवार को अपराध के आरोपों से बरी किये जाने के सम्बंध मे चाही गई राय बाबत ।

1113
18-3-08

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त मुकदमों मे परिवादी डा० बी. के. माथुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक: 14.11.06 को एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक: 05.04.06 से 23.04.06 तक टी. वी. चैनल राष्ट्रीय सहारा मे "कोख मे कत्ल" नामक शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसमे सरकारी व निजी एवं चिकित्सकों एवं चिकित्सा संस्थान द्वारा अवैध व गैर कानूनी रूप से कानून का उल्लंघन करते हुए गर्भधारण पूर्व प्रसवपूर्व लिंग का परीक्षण कर गर्भ का समापन किया जाता है और कानून का उल्लंघन किया जाता है जिसके अनुसार अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से

लगातार पेज-2 पर .....

गर्भपात किया गया ,जबकि अभियुक्तगण को गर्भपात कराने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था ,आदि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा उक्त परिवाद मे डा0 रजनी सिंघल स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं डा0 देवी बंवार के विरूद्ध न्यायालय मे परिवाद प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमे को नतो धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस मे जॉच हेतु भेजा गया और ना ही परिवादी के बयान हुए है तथा यह मुकदमा सिविल न्यायाधीश(क.ख.) नसीराबाद, के समक्ष पेश किया गया तथा न्यायालय द्वारा भी बिना बयान लिये, बिना पुलिस की रिपोर्ट लिये मामले को सैशन सुपुर्द कर दिया गया तथा सैशन सुपुर्द जब किया गया उसमे अभियोजन को जो साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी उसमे केवल मात्र पी.ड.1 जगदीश माहेश्वरी, पी.ड.2 लक्ष्मण हरचंदानी को पेश किया गया जिन्होनें अपनी साक्ष्य मे केवल यह बयान दिया है कि जॉच के दौरान अस्पताल मे सोनोग्राफी की मशीन नहीं मिली तथा अस्पताल एम.टी.पी. के लिए पंजीबद्ध नहीं है ,उनके पास जो भी सामान था वह एम.टी.पी. मे काम मे आने वाला सामान सील कर दिया गया । दोनों गवाहन की साक्ष्य इसी बाबतथी ।

उपरोक्त अभियोजन के गवाहन के बयानों से उपरोक्त प्रकरणों मे अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी अपराध साबित नहीं होता है तथा इस बात को कहने मे कोई भी शंका नहीं है कि स्वयं परिवादकर्ता से भी कोई अपराध बनना नहीं पायाजाता है।

वास्तव मे होना यह चाहिए था कि जिस प्रकार से जयपुर मे अशोक नगर थाने मे मुकदमा दर्ज किया गया उसी प्रकार अजमेर मे उक्त मुकदमा दर्ज होने चाहिए थे तथा इसकी पुलिस जॉच करती ,सम्बंधित सामान को कब्जे मे लेती उसे सील करती, हिडेन कैमरा के व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय सहारा चैनल पर कार्य कर रहे थे उसके बयान लेती, एवं साथ ही उन व्यक्तियों

लगातार पेज-3 पर .....

से भी पूछताछ करती जिन्होनें गर्भ अवस्था मे कन्याभ्रूण होने के बाबत बातचीत की एवं कन्या भ्रूण को समाप्त कराने के लिए सम्बंधित चिकित्सको(अभियुक्तगण) ने क्या सलाह दी,आदि बयान लेकर एवं सम्बंधित साक्ष्य को इकत्रित करके नियमानुसार अभियुक्तगण की गिरफ्तारी बनायी जाती तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने पर सम्बंधित अभियुक्तगण से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला लेती एवं सम्बंधित किन-किन महिलाओं के गर्भ से कन्या भ्रूण हटाया गया ,की सम्पूर्ण जॉच करती तो उस परिस्थिति मे उपरोक्त अपराध साबित किया जा सकता था । ऐसी परिस्थिति मे शुरू से ही उपरोक्त प्रकरणों मे जान बूझकर लापरवाही बरती गई । यदि समय रहते हुए सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विधिक राय लेकर यदि कार्यवाही करते तो निश्चित रूप से अभियुक्तगण के विरूद्ध सक्षम कानूनी कार्यवाही होती एवं कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें दण्डित कराया जा सकता था ।

अतः वर्तमान प्रकरणो मे अपील करने की कोई गुंजाईश नहीं है । आपके द्वारा चाही गई राय नियमानुसार प्रेषित है।

अजमेर ।

दिनांकः 12.03.08

भवदीय

(रामस्वरूप)

राजकीय अभिभाषक,अजमेर।

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर।

(2) श्रीमान् विशिष्ट शासन सचिव विधि, सचिवालय,जयपुर ।

(3) श्रीमान् निदेशक अभियोजन, राजस्थान सरकार,जयपुर ।

(रामस्वरूप)

लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक